: 0535-2217269 (Off.)
: 0535-2217068 (Resi.)
: 09415117957 (Mob.)
: 0535-2217430 (Fax)

FEROZE GANDHI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAEBARELI
(Approved By : A.I.C.T.E. New Delhi & Affiliated with Uttar Pradesh Technical University, Lucknow U.P.)

Date : 25.02.2015

शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति के अर्ह छात्र–छात्राओं हेतु अत्यावश्यक सूचना

(संशोधित)

संस्थान में अध्ययनरत उन सभी वर्गों (सामान्य, अनुसूचितजाति/जनजाति, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग) के समस्त अर्ह छात्र–छात्राओं, जिन्होने शुल्कप्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है, को शासन के आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि निम्न जिलों के निवासी छात्र–छात्राएं वे अपने आय व जाति प्रमाण पत्रों (जुलाई 2014 से अक्टूबर 2014 के मध्य जारी किए गये) को जारी करने वाली संबंधित तहसील के तहसीलदार से सत्यापित कराकर अपने विभागीय लिपिकों के पास दिनांक 28 फरवरी 2015 तक हर दशा में जमा कर दें।

जिलों के नाम : हापुड, गौतमबुद्धनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर, गाजियाबाद, रायबरेली

यदि कोई अर्ह छात्र/छात्रा उक्त सत्यापन कार्य निर्धारित तिथि तक कराने में असफल रहता है तो ठसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। सामान्य एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अर्ह छात्र–छात्राओं को जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। ठन वर्गों के छात्र–छात्राओं को केवल आयप्रमाण पत्र की छायाप्रति ही सत्यापित करानी है।

अन्य सभी जिलों के छात्र छात्राएं अपने आय व जाति प्रमाण पत्रों की प्रतियां (तहसील द्वारा जारी व ठंटरनेट द्वारा वेरीफाठड कापी) की जमा करेंगे।

क्रम	लिपिक का नाम	ब्रांच
1.	श्री शिव प्रसाद	सी. एस.
2.	श्री सुनील द्विवेदी	एम. ई. / एयरो. ठंजी.
3.	श्री आनन्द स्वरूप अवस्थी	ई. सी.
4.	श्री विनय पांडेय	एम.सी.ए.

RPS

(आर. पी शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. डा0 सीमा शर्मा, कार्यालय सहायक, संस्थान।
2. सभी विभागीय लिपिक, संस्थान।
3. सभी छात्र–छात्राओं के सूचनार्थ हेतु, संस्थान एवं छात्रावासों के नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु।

RPS

(आर. पी शर्मा)
निदेशक

FEROZE GANDHI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, RAEBARELI

Ref: - 8094 /FGIET/RBL/2014-15 **Date: 26-02-2015**

सेवा में,

एस0डी0एम0 / तहसीलदार
समस्त जनपद
उ0प्र0

महोदय,

अवगत कराना है कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,रायबरेली के पत्रॉक 604 / पि0व0क0 / 2014–15 दिनॉक 23.02.2015 के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि रायबरेली जनपद का दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्कप्रतिपूर्ति से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र का डाटा संदेहात्मक डाटा की श्रेणी में डाल दिया गया है।
अतः आपसे अनुरोध है कि संबन्धित छात्र का आय व जाति प्रमाण पत्र को सत्यापित करने की कृपा करें।

(आर. पी शर्मा)
निदेशक

प्रेषक

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
रायबरेली।

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय / तकनीकी संस्थान
जनपद रायबरेली।

पत्रांक 607 / पि.व.क. / 2014–15 दिनॉक 27 फरवरी, 2015

विषय :– आय एवं जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 604 दिनॉक 23.02.15 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया था कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र / छात्राओ द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन किये गये आवेदन पत्रो के साथ आय प्रमाण पत्रो के क्रमांक एवं उसमे अंकित धनराशि तथा जाति प्रमाण पत्रो का मिलान स्टेट एन.आई.सी. द्वारा राजस्व परिषद उ0प्र0 की बेवसाईट पर उपलब्ध डाटा से मिलान न हो पाने के कारण इस जनपद का डाटा सन्देहास्पद डाटा की श्रेणी मे डाल दिया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि ई0डिस्ट्रिक वाले आठ जनपद रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर एवं हापुड़ से माह जुलाई 2014 से अक्टूबर 2014 तक जारी आय एवं जाति प्रमाण पत्रो का डाटा राजस्व विभाग की बेवसाईट पर उपलब्ध न होने के कारण इससे सम्बन्धित प्रमाण पत्रो का सत्यापन / मिलान नही हो पा रहा है। उक्त के अतिरिक्त अन्य जनपदो और ई0डिस्ट्रिक वाले जिलो में माह जुलाई 2014 से पूर्व एवं अक्टूबर 2014 के बाद जारी आय, जाति प्रमाण पत्रो का मिलान राजस्व परिषद उ0प्र0 की बेवसाईट से किया जा सकता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिन आय एवं जाति प्रमाण पत्रो का सत्यापन राजस्व विभाग की बेवसाईट से हो जा रहा है, उनकी सत्यापन रिपोर्ट आय, जाति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर एवं ई0डिस्ट्रिक वाले जनपदो का जुलाई 2014 से अक्टूबर 2014 तक के निर्गत आय एवं जाति प्रमाण पत्रो का सत्यापन सम्बन्धित जिले की तहसीलो से कराते हुए सत्यापित आय एवं जाति प्रमाण पत्र की प्रति सम्बन्धित विभागो यथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे छात्रो को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रताप सिंह)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
रायबरेली।

पृष्ठांकन सं0 / तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, रायबरेली।
2– मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली।
3– जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ कि वह जनपद के समस्त इण्टर कॉलेजो को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे कि वे विद्यालय में संरक्षित आवेदन पत्रो मे उपलब्ध आय एवं जाति प्रमाण पत्रो को सम्बन्धित तहसील से सत्यापित कराकर उपलब्ध कराये।
4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रायबरेली।
5– जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रायबरेली।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
रायबरेली।

प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
रायबरेली।

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय/तकनीकी संस्थान
जनपद रायबरेली।

पत्रांक 604 /पि.व.क./2014–15 दिनांक 23 फरवरी, 2015

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछडी जाति, सामान्य वर्ग एव अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन किये गये आवेदन पत्रों के साथ आय प्रमाण पत्रों के क्रमांक एवं उसमे अंकित धनराशि तथा जाति प्रमाण पत्रो का मिलान स्टेट एन.आई.सी. द्वारा राजस्व परिषद उ0प्र0 की वेबसाईट पर उपलब्ध डाटा से मिलान न हो पाने के कारण इस जनपद का डाटा सन्देहास्पद डाटा की श्रेणी मे डाल दिया गया है। दिनाँक 23.02.15 को प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से उक्त योजना की समीक्षा कर निर्देशित किया गया है कि छात्र/छात्राओं के आय एव जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित तहसील से कराया जाय। उक्त के क्रम मे आपसे अपेक्षा है कि समस्त वर्गो के छात्र/छात्राओं के आय एव जाति प्रमाण पत्रो की छाया प्रति सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार से सत्यापित कराकर सत्यापित प्रति वर्गवार दिनाँक 28.02.2015 तक समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मे जमा कराने का कष्ट करे, ताकि आय एव जाति प्रमाण पत्रो के सत्यापन एव मिलान के बाद छात्रवृत्ति प्रेषण हेतु डाटा डिजिटल सिग्नेचर से लॉक कर अग्रसारित किया जा सके।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रताप सिंह)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
रायबरेली।

पृष्ठांकन सं0 /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली।
3– जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली को इस अनुरोध के साथ कि वह जनपद के समस्त इण्टर कॉलेजो को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे कि व विद्यालय में सरक्षित आवेदन पत्रो मे उपलब्ध आय एव जाति प्रमाण पत्रो को सम्बन्धित तहसील से सत्यापित कराकर उपलब्ध करायें।
4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रायबरेली।
5– जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रायबरेली।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
रायबरेली।